ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित गरीब परिवारों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने का कार्यक्रम है। जवाहर रोजगार योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पूरक मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन की कार्यविधियां उनकी मार्गदर्शिकाओं में दी गई हैं। मार्गदर्शिकाओं की समय समय पर समीक्षा की जाती है।

सरकार द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निरन्तर निगरानी की जाती है। गत अनुभवों और विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई नीति में संशोधन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हाल ही में क्रय समिति की चरणबद्ध रूप में समाप्त करने तथा लाभार्थियों को अपनी परिसम्पत्तियां स्वयं खरीदने के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय गठिन प्रक्रियाओं को उदार बनाने, विलम्ब दूर करने तथा कमियों से संबंधित शिकायतों को कम करने के लिए किया गया है।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों को उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शिकाओं में निरन्तर निगरानी की जाती है। कार्यान्वयन को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के सभी स्तरों द्वारा निरीक्षण की एक अनुसूची उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, आवर्ती रिपोर्ट और विवरणियां निर्धारित की जाती हैं। इन कार्य विधियों के माध्यम से सरकार केन्द्रीय और राज्य स्तर पर प्रगति की निगरानी करती है और कार्यान्वयन की प्रवृति और गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखी जाती है। आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

खेत जोतने वाले को मालिकाना अधिकार

1359. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश की तरह खेत जोतने वाले को मालिकाना हक देने पर विचार कर रही है ;

(ख) अगर हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) भूमि राज्य का विषय है। भारत सरकार परामर्श देने और समन्वय स्थापित करने की भूमिका निभाती है। खेतिहर को भूमि देने की नीति के अनुसरण में भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को खेत जोतने वालों की मालिकाना हक देने को सलाह देती रही है।

Potable water Facility in villages of Haryana

1360. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Will the PRIME MINISTER be pleased to state.

(a) what is the number of villages in Haryana which are without potable water facility as on 31st January, 1992; and

(b) by when such a facility would be provided there?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) : (a) As on 31st January, 1992, there